न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
शिविर लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली)
पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

तारीख रजू	तारीख निर्णय
01.10.2012	09.05.2018

उनवान

जुम्मा पुत्र बुद्धा जाति जोगी निवासी ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय व अन्य

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा 1206 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1209 रकबा 4 बिस्वा, 1208 रकबा 4 बिस्वा जिसके सम्वत 2058 में इसके खसरा नम्बर 69 रकबा 0.33 हैक्ट0, 83 रकबा 0.05, 84 रकबा 0.05 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में मिन वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर मिन वादी का सम्वत 2011 के पूर्व से कब्जा चला रहा है। मिन वादी का नाम रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2011, मिसल हकीयत सम्वत 2020, सम्वत 2058, खसरा गिरदावरी खाता संख्या ला0 63, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058, हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 ला0 71 में दर्ज रिकार्ड गैरखातेदार है जिससे यह पुष्ट है कि मिन वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात का गैरखातेदार काबिज कृषक है। मिन वादी का बाद आवंटन 10 वर्ष से अधिक समय से कब्जा प्राप्त होने से मिन वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो चुके है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री घोषणात्मक व जमाबन्दी इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1206 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1209 रकबा 4 बिस्वा, 1208 रकबा 4 बिस्वा जिसके सम्वत 2058

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

उक्त आराजी पर मिन वादी का सम्वत 2011 के पूर्व से

खसरा नम्बर 69 रकबा 0.33 हैक्ट0, 83 रकबा 0.05, 84 रकबा 0.05 हैक्ट0 वाके करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर पर मिन वादी सम्वत 2011 के पूर्व से बहैसियत गैरखातेदार होने से वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का अहकाम जारी कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है आराजी कस्टोडियन भूमि होने से वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर वादी को नियमों के अन्तर्गत खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित

राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली में को पेश हुई। पत्रावली क अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 , मिसल हकीयत सम्वत 2020, सम्वत 2058 में बुद्धा जाति जोगी सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है, खसरा गिरदावरी सम्वत 2061 में कुम्मा पुत्र बुद्धा मेव सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत में कुम्मा पुत्र बुद्धा मेव सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है, हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 में कुम्मा पुत्र बुद्धा मेव सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त के अवलोकन से है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज आराजी पर वादी का सम्वत 2011 के पूर्व से आज तक कब्जा चला रहा है। जो से साबित है। वादी का बाद आवंटन 10 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त होने से को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो चुके है। अतः को विवादित आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना उचित है।

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0. रकबा 0.05, 84 रकबा 0.05 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ अलवर में गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को बहैसियत

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम गैरखातेदार के स्थान पर बहैसियत काबिज खातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली)
अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12	01.10.2012	09.05.2018

उनवान

जुन्ना पुत्र बुद्धा जाति जोगी निवासी ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय व अन्य

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 69 बा 0.33 हैक्ट0, 83 रकबा 0.05, 84 रकबा 0.05 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर में गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उक्त आराजी पर मिन वादी का सम्वत 2011 के पूर्व से